(1)

साँची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय

साधारण परिषद् की बैठक

(दिनांक 19 जून 2014, स्थानः मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल)

कार्यवाही विवरण

साँची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की साधारण परिषद् की प्रथम बैठक दिनांक 19 जून 2014 को सायं 05.00 बजे विश्वविद्यालय साधारण परिषद् के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें विश्वविद्यालय साधारण परिषद् के निम्नानुसार सदस्य उपस्थित हुएः–

1. श्री सुरेन्द्र पटवा, राज्यमंत्री, संस्कृति एवं पर्यटन, मध्यप्रदेश शासन
2. श्री सागरमल जैन, शाजापुर (म.प्र.)
3. वेन. बनागला उपतिस्सा नायके थेरो, श्रीलंका
4. प्रो. सिद्धेश्वर रामेश्वर भट्ट, नई दिल्ली
5. श्री के. के. सिंह, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग
6. श्री जे. एन. कन्सोटिया, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग
7. श्री प्रमोद अग्रवाल, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
8. प्रो. गेशे सेमटेन, कुलपति, केन्द्रीय उच्च तिब्बती संस्थान, सारनाथ, वाराणसी
9. प्रो. डॉ. शशिप्रभा कुमार, कुलपति, साँची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय

शशिप्रभा कुमार

साँची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय साधारण परिषद् के सदस्य सचिव, प्रो. डॉ. शशिप्रभा कुमार, कुलपति, साँची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय द्वारा साधारण परिषद् के सदस्यों के समक्ष विश्वविद्यालय से सम्बंधित विचारणीय बिन्दुओं को प्रस्तुत किया गया जिसमें चर्चा उपरांत निम्नानुसार बिन्दुवार निर्णय लिये गये:–

प्रस्तावित एजेण्डा	पारित निर्णय
एजेण्डा क्र. 1 : साँची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय, प्रगति प्रतिवेदन, चर्चा एवं अनुमोदन	साधारण परिषद् को विश्वविद्यालय द्वारा निर्माण वर्ष से लेकर वर्तमान तक हुई प्रगति एवं वर्ष 2013–2014 के आय–व्यय से अवगत कराया गया एवं सरल क्र. 11 के बिन्दु क्र. 1 से 5 में विश्वविद्यालय द्वारा किये जाने वाले प्रस्तावित कार्यों के लिए परिषद् से सैद्धांतिक सहमति प्राप्त हुई। बिन्दु क्र. 6 के सम्बंध में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा किया जाने वाला धर्म–धम्म सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो वर्ष में एक बार आयोजित किये जाने का सुझाव दिया। सुझाव पर परिषद् की सहमति पश्चात् निर्णय मान्य किया गया। परिषद् ने निर्देशित किया कि अंतर्राष्ट्रीय धर्म–धम्म सम्मेलन 2016 की रूप–रेखा बनाई जाए।
एजेण्डा क्र. 2 : अकादमिक वर्ष 2014–15 में विश्वविद्यालय द्वारा किये जाने वाले कार्यों का अनुमोदन	साँची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय अकादमिक वर्ष 2014–15 में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय धर्म–धम्म सम्मेलन के अवसर पर घोषित छः सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ करने का अनुमोदन एवं माननीय कुलाधिपति के माध्यम से प्राप्त दो अन्य पाठ्यक्रम 1. हिन्दू एवं बुद्धिस्ट तंत्र 2. कश्मीर शैववाद Theory and Practice कोर्स को प्रारंभ करने की सहमति परिषद् द्वारा दी गई।
एजेण्डा क्र. 3: साधारण परिषद् से कार्य परिषद् के	विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 25 (1) (दो) के

शशिप्रभा कुमार

लिये नामनिर्दिष्ट सदस्यों का अनुमोदन	अनुसार साधारण परिषद् के तीन सदस्य जो साधारण परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने हैं, में से प्रो. गेशे सेमटेन, डॉ. एस आर भट्ट एवं प्रो. सागरमल जैन के नामों की सहमति परिषद् द्वारा दी गई। उक्त तीन नाम मान्य किये गये।
एजेण्डा क्र. 4: कुलपति पद की सेवा शर्तों के परिनियमों का अनुमोदन	विश्वविद्यालय के कुलपति पद हेतु निर्मित परिनियमों को परिषद् द्वारा सैद्धांतिक सहमति दी गई एवं **उच्चशिक्षा विभाग से एक सप्ताह में Whetting कराये जाने का निर्णय लिया गया।**
एजेण्डा क्र. 5: विश्वविद्यालय सेवा भर्ती परिनियमों का अनुमोदन	विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित सेवा भर्ती नियमों में एजेण्डा क्र. **5A:** शैक्षणिक पदो के भर्ती नियमों में सहायक प्राध्यापकों की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष किये जाने एवं विशेष परिस्थितियों में उपयुक्त उम्मीदवारों की आयु में छूट देने का अधिकार कार्य परिषद् को दिये जाने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में शैक्षणिक पदों हेतु पात्र व्यक्तियों को भारत एवं भारत से बाहर से भी लिये जाने का प्रावधान किया जाये। शैक्षणिक पदो के भर्ती नियमों को सैद्धांतिक सहमति परिषद् द्वारा दी गई। परिषद् ने निर्देशित किया कि सभी पदों की भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी रखी जाए। **उक्त भर्ती नियमों को उच्च शिक्षा विभाग से Whetting कराये जाने का निर्णय लिया गया।** **5B:** गैर शैक्षणिक भर्ती नियम एवं **5C:** भर्ती परीक्षा नियम को सैद्धांतिक सहमति दी गई । साथ ही **सामान्य प्रशासन विभाग से एक सप्ताह में Whetting**

शशिप्रभा कुमार

	कराये जाने का निर्देश परिषद् द्वारा दिया गया।
एजेण्डा क्र. 6: विश्वविद्यालय के वित्तीय परिनियमों का अनुमोदन	विश्वविद्यालय के संचालन हेतु निर्मित वित्तीय परिनियमों में कार्य परिषद् को प्रदत्त शक्तियों में कुलपति को अधिकार दिये जाने की सैद्धांतिक सहमति परिषद् द्वारा दी गई। **साथ ही वित्त विभाग से एक सप्ताह में Whetting कराये जाने का निर्देश परिषद् द्वारा दिया गया।**
एजेण्डा क्र. 7: विद्या परिषद् में नाम निर्दिष्ट सदस्यों का अनुमोदन	विद्या परिषद् में नामनिर्दिष्ट किये जाने हेतु तीन विद्वानों क्रमशः डॉ. शुभदा जोशी, डॉ. उमा वैद्य एवं डॉ. प्रदीप गोखले को नामनिर्दिष्ट किये जाने की सहमति साधारण परिषद् द्वारा दी गई। **चौथे नाम डॉ. वैद्यनाथ लाभ की सेवायें अन्य स्वरूप में विश्वविद्यालय में लेने हेतु सहमति प्राप्त हुई।**
एजेण्डा क्र. 8: विश्वविद्यालय द्वारा प्रारंभ किये जाने वाले प्राध्ययन केन्द्रों (Schools) का अनुमोदन	विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन अध्यापन हेतु प्रारंभ किये जाने वाले पाँच स्कूल्स के अंतर्गत स्थापित किये जाने वाले समस्त स्कूलों, केन्द्रो एवं विभागों को मान्य किया गया। वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली केन्द्र को विशेष केन्द्र के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया गया। सामरिक अध्ययन केन्द्र का विषय आगामी बैठक के लिए स्थगित किया गया। परिषद् द्वारा विदेशी भाषा केन्द्र में प्रथम चरण में चीनी, तिब्बती एवं सिंहली तीन भाषाओं को सम्मिलित किये जाने की सहमति दी गई।
एजेण्डा क्र. 9: विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित पदों का अनुमोदन	विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रारंभिक स्तर पर स्वीकृत 353 पदों को परिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया।
एजेण्डा क्र. 10: गेस्ट फैकल्टी, विजिटिंग फैकल्टी एवं	विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु पारदर्शी प्रक्रिया

शशिप्रभा कुमार

तदर्थ (Ad-hoc) नियुक्ति के संबंध में चर्चा एवं अनुमोदन	को अपनाते हुए आवश्यतानुसार गेस्ट फैकल्टी, विजिटिंग फैकल्टी एवं तदर्थ नियुक्ति किये जाने की सैद्धांतिक सहमति साधारण परिषद् द्वारा दी गई एवं **उच्च शिक्षा विभाग से एक सप्ताह में Whetting कराये जाने का निर्देश दिया गया।**
एजेण्डा क्र. 11: कार्य परिषद् एवं विद्या परिषद् के संचालन की चर्चा एवं अनुमोदन	विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार संचालित करने हेतु परिषद् द्वारा सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई। **साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग से एक सप्ताह में Whetting कराये जाने का निर्देश दिया गया।**
एजेण्डा क्र. 12: अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषयों पर चर्चा	परिषद् ने निर्देश दिये कि शिक्षक एवं शिक्षार्थी पूरे विश्व से यहाँ आएँ, इस हेतु समुचित प्रयास किये जाएँ। साधारण परिषद के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति से विश्वविद्यालय के कुलसचिव का ग्रेड पे प्रोफेसर के समकक्ष रू. 10,000/— पर मान्य किया गया। कुलसचिव पद पर नियुक्ति के सम्बंध में की गई चर्चा में श्री राजेश गुप्ता विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, संस्कृति विभाग एवं प्रभारी अधिकारी, साँची बौद्ध—भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय के कुलसचिव का प्रभार दिये जाने के सम्बंध में सहमति प्रदान की गई।

बैठक के अन्त में माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कुलपति महोदया डॉ. शशिप्रभा कुमार ने निम्न बिन्दुओं की सूचना परिषद् सदस्यों को दी :—

1. प्रो. शशिप्रभा कुमार दिनांक 22 से 30 जून तक लन्दन में एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेने एवं नेहरू केन्द्र, लन्दन में व्याख्यान देने हेतु ICCR दिल्ली द्वारा प्रायोजित यात्रा पर जा रही हैं।

शशिप्रभा कुमार

2. हिन्दू विश्वविद्यालय अमेरिका द्वारा प्रो शशिप्रभा कुमार को अनुलग्न आचार्य (Adjunct faculty) के रूप में नियुक्त किया गया है, यह अवैतनिक नियुक्ति है।

3. ब्राजील के Juiz De Fora विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 6 से 21 अक्टूबर, 2014 तक प्रो. शशिप्रभा कुमार को अभ्यागत् आचार्य के रूप में आमंत्रित किया गया है। यात्रा व्यय एवं स्थानीय व्यय आतिथेय (Host) द्वारा वहन किया जायेगा।

चर्चा उपरांत साधारण परिषद् सदस्य सचिव प्रो. डॉ. शशिप्रभा कुमार, कुलपति, साँची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

शशिप्रभा कुमार

प्रो. डॉ. शशिप्रभा कुमार
कुलपति एवं सदस्य सचिव
साँची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय

शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन एवं अध्यक्ष, साधारण परिषद्
साँची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय